

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बाडमेर

पीठारीन अधिकारी श्री समदरसिंह भाटी (आर.ए.एस.)
अनवान

अन्तिम डिक्री

वादीगण
1 हाकमसिंह 2 सुमेरसिंह पिरारान
नाथूसिंह 3 बाईराजकंवर पत्नी नाथूराम
जाति राजपूत निवासी गेहूं तहसील व
जिला बाडमेर।

बनाम

प्रतिवादी

1 गुलाबसिंह पुत्र जोगसिंह 2
बहादूरसिंह पुत्र वीरसिंह 3 केसरकंवर
पत्नी वीरसिंह 4 शम्भूसिंह पुत्र वीरसिंह
जाति राजपूत निवासी गेहूं तहसील व
जिला बाडमेर 5 तहसीलदार बाडमेर।

दावा बाबत 88 रा.का.अ.


मुकदमा नम्बर :- 25/2023

निर्णय दिनांक :- 05.09.24

वकील वादी एवं वकील प्रतिवादी संख्या-..... की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 05.09.24 को श्री समदरसिंह भाटी, सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बाडमेर के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और अन्तिम डिक्री निम्नप्रकार दी जाती है कि :-

वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर मौजा गेहूं पटवार क्षेत्र गेहूं तहसील व जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 217 रकबा 7.7214 हैक्टेयर भूमि में वादीगण को प्रतिवादी संख्या 01 से 04 के साथ सहखातेदार घोषित किया जाकर वादीगण का 1/2 हिस्सा खातेदारी का घोषित किया जाता है। अतः तहसीलदार बाडमेर निर्णय की पालना सुनिश्चित करें। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करे। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करे।

यह आज तारीख 05.09.24 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।


(समदरसिंह भाटी)
पीठारीन अधिकारी
सहायक कलक्टर
(एसडीओ) बाडमेर

वाद के खर्चे

| वादी | | प्रतिवादी | |
|---------------------------------|-------|-------------------------------|-------|
| | रूपया | | रूपया |
| 1 वाद पत्र के लिए स्टाम्प | | शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प | |
| 2 शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प | | अर्जी के लिए स्टाम्प | |
| 3 प्रदर्शों के लिए स्टाम्प | | प्लीडर की फीस | |
| 4 रूपये पर प्लीडर की फीस | | साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय | |
| 5 साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय | | आदेशिका की तामिल | |
| 6 कमिष्जर की फीस | | कमिष्जर की फीस | |
| 7 आदेशिका की तामिल | | | |
| जोड़ | | जोड़ | |